इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7445-446-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३६ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) अधिनियम, २०११

[दिनांक २१ दिसम्बर, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २३ दिसम्बर, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०११ है.

३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. २,५८,११,३४,८६६ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग दो सौ अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार आठ सौ छियासठ रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य		
			मतदत्त	भारित	योग
			(राशि रुपये में)	(राशि रुपये में)	(राशि रुपये में)
०३.	पुलिस				
		राजस्व	४,०४,४४,७५०	०	४,०४,४४,७५०
०८.	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन				
		राजस्व	९८,५६,२९७	०	९८,५६,२९७
१५.	पशुपालन (डेयरी)				
		राजस्व	१,५६,८३१	०	१,५६,८३१
१६.	मछली पालन				
		राजस्व	१५,६५,१७४	०	१५,६५,१७४

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	८४,७०,२०,४०९	०	८४,७०,२०,४०९
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व	५४,६०,४१,९६१	०	५४,६०,४१,९६१
२७.	स्कूल शिक्षा				
		पूंजी	१,०३,६१,३६	०	१,०३,६१,३६
२९.	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन				
		राजस्व	३,८८,७४४	०	३,८८,७४४
३०.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय				
		राजस्व	१६,९४,१०,३१८	**५०,४१८**	१६,९४,६०,७३६
४२.	लोक निर्माण से संबंधित आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-सड़कें एवं पुल				
		राजस्व	१,४८,३१,१५१	०	१,४८,३१,१५१
४४.	उच्च शिक्षा				
		पूंजी	५,०९,०४०	०	५,०९,०४०
४५.	जल संसाधन (लघु सिंचाई निर्माण कार्य)				
		राजस्व	२,५२,४५,४९२	०	२,५२,४५,४९२
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	१,३८,४३३	०	१,३८,४३३
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
		राजस्व	०	**३,८१,५९२**	३,८१,५९२
५७.	जल संसाधन				
		पूंजी	३,३९,०५,९६५	०	३,३९,०५,९६५
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	९,५३,००,८०३	०	९,५३,००,८०३
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		राजस्व	७५,०८,५३,१८०	०	७५,०८,५३,१८०
		पूंजी	१,११,५०,२२४	०	१,११,५०,२२४

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	**रुपये**	रुपये
७०.	जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	पूंजी	२,३५,२३,५७५	०	२,३५,२३,५७५
७३.	आवास एवं पर्यावरण विभाग (वृक्षारोपण, वनीकरण, पर्यावरण एवं पड़त भूमि के विकास से संबंधित व्यय)			
	पूंजी	९३,२४,३७३	०	९३,२४,३७३
योग :	राजस्व	२,५०,१२,५३,५४३	**४,३२,०१०**	२,५०,१६,८५,५५३
	पूंजी	७९४४९३१३	०	७९४४९३१३
वृहद योग :		२,५८,०७,०२,८५६	**४,३२,०१०**	२,५८,११,३४,८६६

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7446-446-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 36 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO.-5) ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 21st December 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd December, 2011.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of march, 1994 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No.-5) Act, 2011.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Two hundred fifty eight crores eleven lakhs thirty four thousands eight hundred sixty six rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of march, 1994 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Issue of Rs. 2,58,11,34,866 out of the Consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 1994.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 1994.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purpose		(3) Excess		
			Voted	Charged	Total
			(Amt. in Rs.)	(Amt. in Rs.)	(Amt. in Rs.)
3.	Police	Revenue	4,04,44,750	**0**	4,04,44,750
8.	Land Revenue and District Administration	Revenue	98,56,297	**0**	98,56,297
15.	Dairy Development	Revenue	1,56,831	**0**	1,56,831
16.	Fisheries	Revenue	15,65,174	**0**	15,65,174
20.	Public Health Engineering	Revenue	84,70,20,409	**0**	84,70,20,409
24.	Public Works Roads and Bridges	Revenue	54,60,41,961	**0**	54,60,41,961
27.	School Education	Capital	10,36,136	**0**	10,36,136
29.	Administration of Justice and Elections.	Revenue	3,88,744	**0**	3,88,744
30.	Panchayat and Development	Revenue	16,94,10,318	**50,418**	16,94,60,736

(1)	(2)		(3)		
			(Amt. in Rs.)	**(Amt. in Rs.)**	(Amt. in Rs.)
42.	Public Work R & B relation Tribal Areas sub-plan.	Revenue	1,48,31,151	**0**	1,48,31,151
44.	Higher Education	Capital	5,09,040	**0**	5,09,040
45.	Miner Irrigation Work	Revenue	2,52,45,492	**0**	2,52,45,492
49.	Schedule Caste Welfare	Revenue	1,38,433	**0**	1,38,433
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	0	**3,81,592**	3,81,592
57.	Externally Aided Project Pertaining to Water Resources.	Capital	3,39,05,965	**0**	3,39,05,965
58.	Exp. on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	9,53,00,803	**0**	9,53,00,803
67.	Public Work-Buildings	Revenue	75,08,53,180	**0**	75,08,53,180
		Capital	1,11,50,224	**0**	1,11,50,224
70.	Externally Aided Project Pertaining to Man Power Planning.	Capital	2,35,23,575	**0**	2,35,23,575
73.	Exp. pertaining to Plantation, Environment and Development of waste lands.	Capital	93,24,373	**0**	93,24,373
	Total ..	Revenue ..	2,50,12,53,543	**4,32,010**	2,50,16,85,553
		Capital ..	7,94,49,313	**0**	7,94,49,313
	Grand Total ..		2,58,07,02,856	**4,32,010**	2,58,11,34,866

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.